तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **सुरजी देवी बनाम बर्फी देवी** **जीसीएमएस नम्बर 2022/253**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.11.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से श्री कृष्ण शर्मा एडवोकेट ने अपना वकालतनामा पेश किया तथा अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने लिखावट राजीनामा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् अधिवक्ता उभयपक्ष ने कथन किया है कि तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर के बंटवारा आदेश दिनांक 18.04.2016 की पालना में तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 09.05.2016 के विरूद्ध द्वितीय पक्ष बर्फी देवी वगै. ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर के समक्ष राजस्व अपील संख्या 55/2022 उनवानी बर्फीदेवी वगै. बनाम सुरजीदेवी वगै. प्रथम पक्ष सुरजीदेवी वगै. के विरूद्ध दायर की गई थी जो बाद सुनवाई न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर ने अपने निर्णश दिनांक 27.07.2021 द्वारा उक्त अपील को स्वीकार कर उक्त नामानतरकरण संख्या 327 दिनांक 09.05.2016 को अपास्त किया था एवं उक्त निर्णय दिनांक 27.07.2021 के विरूद्ध प्रथम पक्ष सुरजी देवी वगै. ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील संख्या 2021/253 उनवानी सुरजीदेवी वगै. बनाम बर्फीदेवी वगै. दायर की गई है उक्त राजस्व अपील में द्वितीय पक्ष बर्फीदेवी वगै. का प्रथम पक्ष से राजीनामा हो गया है तथा उक्त अपील को स्वीकार किये जाने तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 27.07.2021 को अपास्त किये जाने में एवं नामान्तकरण संख्या 327 दिनांक 09.05.2016 को बहाल रखने में मुताबिक राजीनामा द्वितीय पक्ष बर्फीदेवी वगै. सहमत है चूँकि प्रथम पक्ष में सुरजीदेनी ने द्वितीय पक्ष के जगदीश, रामकरण पुत्रान सरदारमल, कालूराम पुत्र मूलचनद के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 73/2020 उनवानी सुरजीदेवी बनाम जगदीश वगै. दावा स्थायी निषेधाज्ञा का दायर कर रखा है उक्त राजस्व वाद में भी सुरजीदेवी का जगदीश वगै. से राजीनामा हो गया है। इस कारण राजीनामा के आधार पर दोनों पक्ष उक्त राजस्व वाद का निस्तारण करवा लेंगे तथा यह राजीनामा प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष ने बिना किसी दबाव के स्वेच्छापूर्वक किया जो सनद रहे, वक्त जरूरत काम आवें। अतः उक्त राजीनामे के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2021 को अपास्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 09.05.2016 को बहाल फरमाया जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **सुरजी देवी बनाम बर्फी देवी** **जीसीएमएस नम्बर 2022/253**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उभयपक्ष अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार करवाकर नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 09.05.2016 को बहाल करवाना चाह रहे है। ऐसी स्थिति में लोक अदालत की भावना से अपील अपीलार्थीगण की स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2021 को निरस्त किया जाता है एवं नामान्तरकरण सख्या 327 दिनांक 09.05.2016 वाके ग्राम गांधीनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर को बहाल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सनाया गया। **(अन्तरसिंह नेहरा)** संभागीय आयुक्त, जयपुर।	